संख्या-730 /77-6-13-13(एम)/12(ए)

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र.।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2013

विषयः उद्योग बन्धु की राज्य, मंडल तथा जनपद स्तर की समितियों का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतब्य स्थापित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए हर स्तर पर मित्रतापूर्ण वातावरण विकसित किया जाए एवं नवीन उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किये जाने हेतु उद्यमियों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए जिससे उद्यमियों को परियोजना स्थापित करने में लगने वाले बहुमूल्य समय एवं संसाधनों की बचत हो।

2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में उद्यमी को न्यूनतम अवधि में विभिन्न सुविधायें, स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ/अनुमोदनादि उपलब्ध कराने, आवश्यक औपचारिकताओं को उनके द्वारा शीघ्र पूर्ण किये जाने में उनकी यथोचित सहायता करने, उद्यमी की प्रक्रियात्मक/नीतिगत् समस्याओं के निराकरण हेतु एवं जटिल प्रक्रियाओं का समय-समय पर सरलीकरण कर प्रदेश को आर्थिक रुप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उद्योग बन्धु के जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों का समय-समय पर गठन किया गया है।

3. प्रदेश के वर्तमान एवं भावी उद्यमियों को यथा सम्भव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय उद्योग बन्धु की त्रि-स्तरीय व्यवस्था (जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की व्यवस्था) को लागू रखते हुए उद्योग बन्धु में राज्य स्तर पर मा. मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में "उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति", मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति", मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल उद्योग बन्धु समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु समिति तथा अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता बैठक की व्यवस्था को निम्नवत पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं:-

(अ) <u>उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति</u>

मा. मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में "उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति" का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

<u>समिति के सदस्य</u>

1.	मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग।	सदस्य
2.	मा0 मंत्री, लघु उद्योग विभाग।	सदस्य
3.	मा0 मंत्री, श्रम विभाग।	सदस्य
4.	मा0 मंत्री, ऊर्जा विभाग।	सदस्य
5.	मा0 मंत्री, वित्त विभाग।	सदस्य
6.	मा0 मंत्री, नियोजन विभाग।	सदस्य
7.	मा0 मंत्री, राजस्व विभाग।	सदस्य
8.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
17.	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
18.	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
20.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
21.	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले विषय के स्वरूप को देखते हुए उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारियो को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेंगा। बैठक के संयोजक अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु होगे। बैठक की अध्यक्षता मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी।

"उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति" की बैठको में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री उ0प्र0, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री एवं व्यापार तथा निर्यातक प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर उनके साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। यदि कोई उद्यमी अपनी समस्या को बैठक में स्वयं प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उन्हें भी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

समिति का कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. औद्योगीकरण से सम्बन्धित विभागों की लागू नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना।
3. प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करना।
4. सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स व्यवस्था का अनुश्रवण करना।
5. विभिन्न विभागों द्वारा उद्योगों की समस्या के निस्तारण की समीक्षा करना।
6. उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा अवस्थापना सुविधायें स्थापित कराये जाने सम्बन्धी उपक्रमों की समस्याओं का निराकरण तथा अनुश्रवण करना।
7. नीति विषयक मामलों पर विचार कर निराकरण करना।

(ब) **राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति**

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति" का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

समिति के सदस्य

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8	औद्योगिक विकास विभाग से संबन्धित प्रमुख सचिव/ सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
12	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
13	प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
14	प्रमुख सचिव, खाद्य-प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

15	प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
16	अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।	सदस्य सचिव/संयोजक

बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले विषय के स्वरूप को देखते हुए उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारियो को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेंगा। ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' के संयोजक अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु होंगे।

बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विचार करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक संगठनों यथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री उ0प्र0, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री एवं व्यापार तथा निर्यातक प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर उनके साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। यदि कोई उद्यमी अपनी समस्या को बैठक में स्वयं प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उन्हें भी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' की बैठकों में सम्बन्धित उद्यमी/निवेशक की विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लिया जायेगा। उक्त समिति में समस्याओं से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिव के साथ-साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी अनिवार्य रुप से उपस्थित रहना होगा, जिससे विभागीय पक्ष का संज्ञान लेते हुए समुचित निर्णय लिया जा सकेगा। ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' का एजेण्डा अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा परीक्षणोपरान्त तैयार किया जायेगा।

औद्योगिक समस्या निस्तारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' की एक उप-समिति भी निम्नवत् गठित होगीः-

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रकरणों से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4	अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।	सदस्य सचिव/संयोजक

बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले विषय के स्वरूप को देखते हुए उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारियो को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेंगा। अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा समस्याओं को एकत्र किया जाएगा एवं निवारण हेतु मुख्य सचिव की उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप-समिति की बैठक यथावश्यकता आहूत की जाएगी।

समिति का कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश में औद्योगिक एवं अवस्थापना निवेश में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करना।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 व अन्य औद्योगीकरण से सम्बन्धित विभागों की नीतियों के लागू होने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
3. उद्योगों की समस्याओं का समाधान करना तथा आवश्यक हो तो इस हेतु नीतिगत निर्णय लेना।
4. अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर मत निश्चित करना।
5. औद्योगीकरण से सम्बन्धित विभिन्न विभागों से जारी होने वाली स्वीकृतियों, अनापत्तियों, लाईसेंस इत्यादि की समीक्षा करना।
6. निवेश मित्र के निश्चित समयावधि के उपरान्त लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करना।
7. सिंगल विण्डों क्लीयरेन्स एक्ट लागू होने की दशा में उसका अनुपालन करना।
8. उद्योगों के स्वीकृति प्रक्रिया में विलम्ब अथवा शिथिलता करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई प्रस्तावित करना।
9. औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं अवस्थापना सुविधायें स्थापित करने से सम्बन्धित नीतियों, नियमों एवं अधिनियमों की समीक्षा कर उनके सरलीकरण एवं सुधार कराये जाने पर संस्तुति करना।
10. जिला/मंडल/राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अनुश्रवण करना।
11. अन्तर्विभागीय नीतिगत् प्रकरणों पर विचार कर संशोधन/परिमर्जन हेतु संस्तुति करना।
12. उद्योग बन्धु के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित कार्यो के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
13. प्रदेश के औद्योगीकरण के विषय में अन्य कोई बिन्दु।

"राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति" की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी।

(स) त्रिपक्षीय वार्ता बैठक

अधिशासी निदेशक-उद्योग बन्धु की अध्यक्षता में इकाइयों एवं औद्योगिक संगठनों तथा उनके प्रकरणों से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के साथ विभागवार 'त्रिपक्षीय वार्ता' बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह किया जाएगा।

उद्योगों से सम्बन्धित प्राप्त प्रकरणों व समस्याओं की अधिक संख्या के दृष्टिगत् उद्योग बन्धु द्वारा, यथावश्यकता विभागवार 'त्रिपक्षीय वार्ता' अथवा कई विभागों की एक साथ 'संयुक्त त्रिपक्षीय वार्ता' बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रकरणों की अधिक संख्या के दृष्टिगत् वर्णित बैठक एक माह से पहले भी आयोजित की जा सकती है।

त्रिपक्षीय वार्ता बैठक के आयोजन के पीछे यह मंशा है कि उद्यमी की समस्या का समुचित निदान अधिशासी निदेशक-उद्योग बन्धु की मध्यस्थता से, सम्बन्धित विभाग के साथ परस्पर वार्ता के आधार पर तत्समय ही हो जाए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अधीनस्थ अधिकारी प्रकरण की पर्याप्त जानकारी के अभाव में कार्यवाही का मात्र आश्वासन दे देते हैं, जिससे प्रकरण में कोई निर्णय नहीं हो पाता है और अन्य उपस्थित अधिकारियों के बहुमूल्य शासकीय समय के साथ-साथ उद्यमियो का भी

धन-समय व्यर्थ जाता हैं। इसके फलस्वरुप बैठकों के प्रति उद्यमियों के विश्वास में गुणोत्तर कमी भी आती है। अतः उद्योग बन्धु के द्वारा आहूत बैठकों में आमंत्रित किए जाने वाले सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के साथ-साथ विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष के लिए बैठक में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। यदि कभी किसी अपरिहार्य कारणवश ऐसा सम्भव न हो सके, तो उनके द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर पाने की लिखित-सूचना अधिशासी निदेशक-उद्योग बन्धु को प्रेषित करते हुए अपने अधीनस्थ किन्तु सक्षम अधिकारी को, स्पष्ट विभागीय निर्णय/मत सहित, बैठक में प्रतिभाग करने हेतु नामित किया जाएगा।

यदि किसी प्रकरण में कोई नीतिगत निर्णय निहित है, तो उस प्रकरण को ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(द) <u>मंडल स्तरीय उद्योग बन्धु समिति</u>

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैं :-

<u>समिति के सदस्य</u>

1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	पुलिस उप-महानिरीक्षक	सदस्य
3.	संबन्धित जिले के जिलाधिकारी	सदस्य
4.	संबन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	वाणिज्य कर विभाग के परिक्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
6.	श्रम विभाग के परिक्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
7.	विद्युत विभाग के वरिष्ठतम मण्डलीय अधिकारी	सदस्य
8.	उ.प्रं. राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
9.	लीड बैंक के जिला प्रबंधक	सदस्य
10.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
11.	कारखाना निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
12.	परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य सचिव/ संयोजक

बैठक में कोई बिन्दु यदि किसी संस्था, स्थानीय निकाय, खादी ग्रामोद्योग, उ.प्र. वित्तीय निगम के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा किसी विभाग से सम्बन्धित होगा तो उसके प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाएगा।

<u>समिति का कार्यक्षेत्र</u>

1. ''उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति'', ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना।
2. मण्डल के अंतर्गत समस्त जिला उद्योग बन्धु के कार्य का पुनरीक्षण करना, सम्यक विचार कर उनका समन्वय व दिग्दर्शन करना।

3. मण्डल में स्थापित होने वाले विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को सुविधायें एवं स्वीकृतियाँ प्रदान करना।
4. मण्डल में लगने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाईयों की प्रगति में सहायता करना तथाशासन को उनके प्रगति से अवगत कराना।
5. राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर जारी नीतियों का उद्यमियों के मध्य प्रचार-प्रसार करना।
6. आशय पत्र एवं इच्छा पत्र तथा मण्डल में दाखिल होने वालें मेमोरेण्डम आदि के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, स्वीकृतियाँ प्रदान करना।
7. निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित समस्याओं का निस्तारण।
8. निवेश प्रोत्साहन से सम्बन्धित समस्त कार्यो को सुचारू रूप से संपादित कराना। इनके आँकड़ें संग्रहित करना तथा समय-समय पर उच्च स्तर पर अवगत कराना।
9. दो बैठकों से अधिक लम्बित प्रकरणों को राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु को अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत करना।
10. मण्डल के अंतर्गत आच्छादित जनपदों में पूर्व से स्थापित लघु, मध्यम तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों का डाटाबेस तैयार करना।
11. मण्डल के अंतर्गत आच्छादित जनपदों में नई स्थापित होने वाली लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर प्राथमिकता प्रदान करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों की सेवायें शीघ्रता से उपलब्ध कराना।
12. मेगा परियोजनाओं हेतु इम्पावर्ड कमेटी व मा. मंत्रिपरिषद से अनुमन्य मण्डल के अंतर्गत आच्छादित जनपदों से सम्बन्धित सुविधायें प्राप्त कराना।
13. बड़ी औद्योगिक इकाईयों के समन्वय हेतु नामित नोडल अधिकारियों को समस्त वांछित सहयोग प्रदान करना।
14. मण्डल के अंतर्गत आच्छादित जनपदों में औद्योगिक इकाई लगाने वाली प्रस्तावित निवेशकों से समन्वय कर निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
15. उपरोक्त से सम्बन्धित आँकड़े संकलित कर उन्हें राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु को प्रेषित करना।

बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विचार करने हेतु प्रमुख औद्योगिक संगठनों को भी आमंत्रित कर उनके साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठक में सम्बन्धित उद्यमियों एवं निवेशक को भी स्वयं उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक दो माह में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में ही आयोजित की जाएगी जिसका कार्यवृत्त, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु एवं उद्योग निदेशालय-कानपुर को प्रेषित किया जाएगा।

(य) <u>जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु समिति</u>

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैं :-

समिति के सदस्य

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग	सदस्य
4.	वाणिज्य कर विभाग (जिले में तैनात वरिष्ठतम् अधिकारी)	सदस्य
5.	विद्युत विभाग (जिले में तैनात वरिष्ठतम् अधिकारी)	सदस्य
6.	श्रम विभाग (जिले में तैनात वरिष्ठतम् अधिकारी)	सदस्य
7.	लीड बैंक आफिसर	सदस्य
8.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
9.	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित अधिकारी	सदस्य
10.	महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव/ संयोजक

समिति की बैठक में विचारणार्थ बिन्दुओं में यदि नगर महापालिका/नगर पालिका, वाणिज्यिक बैंक या अन्य विभाग का कोई बिन्दु निहित होगा तो उनके जिला/मण्डलीय स्तर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

समिति का कार्यक्षेत्र

1. "उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति", "राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति" एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना।
2. जिला उद्योग बन्धु के कार्यो का पुनरीक्षण करना, सम्यक विचार कर उनका समन्वय व दिग्दर्शन करना।
3. जनपद में स्थापित होने वाली विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य सुविधायें एवं स्वीकृतियाँ प्रदान करना।
4. जनपद में स्थापित होने वाली महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाईयों की प्रगति में सहायता करना तथा मण्डल स्तर एंवं राज्य स्तर उद्योग बन्धु को उनकी प्रगति से अवगत कराना।
5. जनपद में ग्रामीण, लघु, लघुत्तर, खादी, हस्तशिल्प उद्योगों की समस्याओं का समाधान करना।
6. राज्य स्तर के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर जारी नीतियों का उद्यमियों के मध्य प्रचार-प्रसार करना।
7. आशय पत्र एवं इच्छा पत्र तथा जनपद में दाखिल होने वालें मेमोरेण्डम आदि के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा उन्हें विभिन्न स्वीकृतियाँ प्रदान कराना।
8. निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित समस्याओं का निस्तारण कराना।
9. निवेश प्रोत्साहन से सम्बन्धित समस्त कार्यो को सुचारू रूप से संपादित कराना। इनके आँकड़ें संग्रहित करना तथा प्रतिमाह मंडल व राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु को अवगत कराना।
10. दो माह से लम्बित प्रकरणों को मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु को अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत करना।
11. जनपद में पूर्व से स्थापित लघु, मध्यम तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों का डाटाबेस तैयार करना।

12. जनपद में नई स्थापित होने वाली लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर प्राथमिकता प्रदान करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों की सेवायें शीघ्रता से उपलब्ध कराना।
13. मेगा परियोजनाओं हेतु इम्पावर्ड कमेटी व मा. मंत्रिपरिषद से अनुमन्य जनपद से सम्बन्धित सुविधायें प्राप्त कराना।
14. बड़ी औद्योगिक इकाईयों के समन्वय हेतु नामित नोडल अधिकारियों को समस्त वांछित सहयोग प्रदान करना।
15. जनपद में औद्योगिक इकाई लगाने वाले प्रस्तावित निवेशकों से समन्वय कर निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
16. उपरोक्त से सम्बन्धित आँकड़े संकलित कर उन्हें मण्डल व राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु को प्रेषित करना।
17. मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना।

बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विचार करने हेतु प्रमुख औद्योगिक संगठनों को भी आमंत्रित कर उनके साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में सम्बन्धित उद्यमियों एवं निवेशकों को स्वयं उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

जिला उद्योग बन्धु की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ही आयोजित की जाएगी जिसका कार्यवृत्त, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक मण्डल व राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु एवं उद्योग निदेशालय-कानपुर को प्रेषित किया जाएगा।

4. एतद विषयक औद्योगिक विकास विभाग के पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या-9633 भा.उ./18-11-844भा/80, दिनांक 03.11.1980, शासनादेश संख्या-6113आर/18-1-455आर/85, दिनांक 21.11.1985, शासनादेश संख्या-यू0ओ0-67/18-2-06, दिनांक 04.05.1988, शासनादेश संख्या-982/77-6-09-33(एम)/04 टी.सी, दिनांक 28.05.2009, शासनादेश संख्या- 2761/77-6-05-10(एम)/05, दिनांक 25.01.2006 सपठित शासनादेश संख्या-988/औ0वि0वि0/77-6-09, दिनांक 03.05.2009, शासनादेश संख्या-983/77-6-09-33(एम)/04टी.सी, दिनांक- 28.5.2009, शासनादेश संख्या-2835/18-2-94-39(5)/91 दिनांक 02.07.1994, शासनादेश संख्या-7280/18-2-6-04(8)/88, दिनांक 28.02.1989 सपठित शासनादेश संख्या-985/ 77-6-09-33(एम)/04टी.सी, दिनांक 28.05.2009, शासनादेश संख्या-2908/18-2-90, दिनांक-23.06.1990 सपठित शासनादेश संख्या-984/77-6-09-33(एम)/04टी.सी, दिनांक-28.05.2009 तथा शासनादेश संख्या-1130/ 77-6-09, दिनांक 18.6.2009 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
5. कृपया उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 730(1)/77-6-13-13(एम)/12(ए),तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समिति के सदस्यगण।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी, कानपुर।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
8. समस्त महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
9. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
11. औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव